32

THE COURT OF : पंकज चतुर्वेदी, प्रथम जिला न्यायाधीश, भिण्ड (म0प्र0)

DECREE IN ORIGINAL SUIT

(code of civil procedure 1908, order xx, rule 6 and 7)

Civil Suit No. **299** of **2021 RCS-A**

1. विक्रम पुत्र श्री आलोक शर्मा आयु 24 वर्ष
2. ऋषिकेश पुत्र श्री आलोक शर्मा आयु 23 वर्ष

निवासीगण वार्ड नंबर 12 लश्कर रोड़ पुराना पचासा लाइन,

जिला भिण्ड म.प्र. ....**वादीगण**

विरूद्ध

1. हरिशचंद्र शर्मा पुत्र श्री आशाराम शर्मा आयु 77 वर्ष
2. विवेक शर्मा पुत्र श्री हरिशचंद्र शर्मा आयु 47 वर्ष
3. आलोक शर्मा पुत्र श्री हरिशचंद्र शर्मा आयु 50 वर्ष
4. अरविंद शर्मा पुत्र श्री हरिशचंद्र शर्मा आयु 43 वर्ष
5. शंकर पुत्र श्री विवेक शर्मा आयु 27 वर्ष
6. शुभम शर्मा पुत्र श्री अरविंद शर्मा आयु 22 वर्ष
7. आदित्य पुत्र श्री विवेक शर्मा आयु 37 वर्ष

निवासीगण पुराना पचासा लाइन वार्ड नंबर 12 लश्कर रोड़,

जिला भिण्ड म.प्र.

8. मनोरमा पत्नी स्व. श्री राजेश शर्मा आयु 53 वर्ष
9. ऋचा उर्फ सोनू पुत्री स्व. श्री राजेश शर्मा पत्नी श्री जगदीश शर्मा आयु 39 वर्ष निवासी जीवाजी नगर ग्वालियर म.प्र.
10. उषा पुत्री श्री हरिशचंद्र शर्मा पत्नी श्री राधामोहन शर्मा आयु 45 वर्ष निवासी बी.एच. 23 दीनदयाल नगर ग्वालियर म.प्र.

..... **प्रतिवादीगण**

Claim for- वाद वास्ते स्वत्व घोषणा एवं वयनामा दिनांक 21.01.2021 पंजीयन दिनांक 29.01.2021 एवं दिनांक 27.01.2021 को अवैध एवं व्यर्थ प्रभाव शून्य घोषित किये जाने हेतु।

11.8.26

पंकज चतुर्वेदी

प्रथम जिला न्यायाधीश भिण्ड

अपर जिला न्यायाधीश, सत्यमेव जयते, भिण्ड (म.प्र.)

This suit coming on this day for final disposal before me in the presence of

(for the plaintiff) वादीगण द्वारा श्री सुरेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।

(for the defendant) प्रतिवादी कमांक–1, 2, 4 लगायत 7 द्वारा श्री के.डी.शर्मा अधिवक्ता

प्रतिवादी कमांक–3, 8, 9, 10 एकपक्षीय।

It is ordered and decreed that :-

वादीगण का घोषणा का वाद निम्नानुसार **निरस्त** किया जाता है एवं स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता के संबंध में वादीगण का वाद आंशिक रूप से निम्नानुसार **स्वीकार** किया जाता है:–

1. पुराना पचासा लाइन लश्कर रोड़ वार्ड नंबर 12 भिण्ड स्थित पहले मकान 23 गुणा 60 फिट, दूसरे मकान 15 गुणा 68 फिट, तीसरे मकान 15 गुणा 60 फिट, सैनिक नगर भिण्ड वार्ड नंबर 4 वर्तमान वार्ड नंबर 6 स्थित चौथे मकान कमांक 851 एरिया 30 गुणा 105 फिट तथा दीनदयाल नगर ग्वालियर स्थित पांचवें मकान डी.एच. 33बी 40 गुणा 60 फिट एवं उससे लगी व्यावसायिक जगह अनुमानित 24 गुणा 60 फिट मय निर्मित 07 दुकान और मौजा जारी वृत्त पीपरी तहसील व जिला भिण्ड स्थित विवादित कृषि भूमि के संबंध में वादीगण का स्वत्व घोषणा का वाद **अस्वीकार** किया जाता है।

2. विवादित पहले एवं दूसरे मकान के संबंध में निष्पादित विकय पत्र दिनांक 29.01.2021 एवं 27.01.2021 वादीगण के स्वत्वों के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी नहीं है।

3. पचासा लाइन लश्कर रोड़ वार्ड नंबर 12 भिण्ड स्थित विवादित पहले मकान 23 गुणा 60 फिट के वादीगण आधिपत्यधारी हैं।

4. प्रतिवादी कमांक 2, 5, 6 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा निषेधित किया जाता है, कि वे विधि की सम्यक् प्रक्रिया अपनाये बिना विवादित पहले मकान में वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप नहीं करें।

5. उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

6. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर वास्तविक अथवा सूची अनुसार जो भी कम हो, देय हो।

11.6.2?

पंकज चतुर्वेदी

प्रथम जिला न्यायाधीश भिण्ड

33

and that sum of Rs. ---------------------------------- /–रु.
उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

Plaintiff

be paid by the ______________

defendant
Plaintiff

To the ____________

defendant

on account of costs of his suit, with interest here there on at the rate of
Percent x
Per annum from this date or realization
Given under my hand the seal of the Court this **08-08-2026** day of

Judge 11.8.26
(पंकज चतुर्वेदी)
प्रथम जिला न्यायाधीश
भिण्ड (म.प्र.)

COSTS OF SUITS

Plainiff	Rs.	P.	Defendant	Rs.	p.
1 stamp for plaint -	2100	00	stamp for powers	10	00
2 stamp for application & affidavit -	80	00	stamp for exhibites-दस्ता.	--	00
3 stamp for powers	10	00	stamp for petitions-	--	-
4 stamp for exhibites -दस्तावेज	00	00	pleader's fee	--	-
5 pleader's fee on Rs. -	प्रमाणित नही	00	subsistence forwitnesses	--	-
6 subsistence on witnesses -	--	00	service of process	--	-
7 commissioner's fee -	--	--	commissioner's	--	-
8 service of process	--	--	stamp for application & affidavit -	55	-
	105	00			
Total	2295=00		Total	65=00	

11.8.26
पंकज चतुर्वेदी
प्रथम जिला न्यायाधीश भिण्ड